शिकागो शहर

# यूटिलिटी बिलिंग राहत कार्यक्रम

## यह क्या है?

Cook काउंटी के सामुदायिक एवं आर्थिक विकास एसोसिएशन (Community and Economic Development Association, CEDA) के सहयोग के साथ, शिकागो शहर ने **यूटिलिटी बिलिंग राहत कार्यक्रम (Utility Billing Relief Program)** की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है:

पानी | सीवर | पानी-सीवर टैक्स बिल

**पात्रता रखने वाले शिकागो के निवासियों के लिए और अधिक किफ़ायती!**

## यह कैसे सहायता करता है?

**इसके प्रतिभागियों को मिलेगाः**

- पानी शुल्क, सीवर शुल्क, और पानी-सीवर टैक्स में **50% की कमी**
- शिकागो शहर के यूटिलिटी बिलिंग ऋण पर **कोई जुर्माना** या ऋण वसूली लागू नहीं होती है
- कार्यक्रम में एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद **ऋण माफ़ी**

## क्या मैं इसके लिए पात्र हूं?

- आपका शिकागो यूटिलिटी बिल **एक परिवार वाले घर, दो-फ़्लैट, या तीन-फ़्लैट** के लिए है और यह आपका प्रमुख निवास है
- आप घरेलू आय से संबंधित पात्रता को पूरा करते हैं, जो आम तौर पर संघीय गरीबी सीमा का 200 प्रतिशत है।

## मुझे क्या करना होगा?

- अपनी संपत्ति की पात्रता की पुष्टि करने के लिए **chicago.gov/UBR** पर जाएं
- उस लिंक पर दिए गए निर्देशों का पालन करके आय सत्यापन पूरा करें
- अगर आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया शहर के यूटिलिटी बिलिंग और ग्राहक सेवा केंद्र से **312-744-4426** पर संपर्क करें

CEDA